लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

Preservation Unit
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 41 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLI contains Nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपए
PRICE TWO RUPEES

विषय सूची/CONTENTS

अंक 8, बुधवार, 31 जुलाई, 1974/9 श्रावण 1896 (शक)

No. 8, Wednesday, July 31, 1974/Sravana 9, 1896 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	1-2
नये कराधान प्रस्तावों के सम्बन्ध में वक्तव्य	Statement on New Taxation Proposals	2-10
श्री यशवन्त राव (चव्हाण)	Shri Yashwantrao Chavan	3-10
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1974—पुर:स्थापित	Finance (No. 2) Bill, 1974—*Introduced*	10
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha ..	10
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक	Essential Commodities (Amendment) Bill	10
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	As passed by Rajya Sabha	10

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 31 जुलाई, 1974/9 श्रावण, 1896 (शक)
Wednesday, July 31, 1974/Sravana 9, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सदन को अपने प्रतिष्ठित साथी श्री एम० वी० राजन के दुःखद निधन की सूचना देनी है। इनका निधन आज सवेरे 70 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें 19 जलाई, 1974 को अस्पताल में दाखिल कराया गया। उनकी हालत सुधर रही थी। किसी को विश्वास नहीं था कि उनका इतनी जल्दी निधन हो जाएगा।

श्री राना सदन के वर्तमान सदस्य और औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। उनका सार्वजनिक जीवन बड़ा लम्बा था। उन्होंने अनेकों महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए देश की बड़ी सेवा की। मिडिल टेम्पल के अतिरिक्त उन्होंने गवर्नमेन्ट ला कालेज, पूना से वकालत की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपना जीवन एक वकील के रूप में शुरू किया और इसके बाद उन्होंनें बम्बई के सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश किया और अपने क्षत्र को गुजरात तक बढ़ा दिया। वह एक प्रसिद्ध संसदविज्ञ भी थे। वह भूतपूर्व बम्बई राज्य की विधान सभा के वर्ष 1946-52 तथा 1956-60 में सदस्य थे और बाद में वर्ष 1960-70 में गुजरात विधान सभा के सदस्य रहे।

वह वर्ष 1960-62 में गुजरात विधान सभा के सदस्य रहे और उस समय पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते मुझे अध्यक्षों के सम्मेलन में उनका साथ देने का सौभाग्य मिला।

वर्ष 1960 में लन्दन में हुए कामनवैल्थ संसदीय सम्मेलन में उन्होंने गुजरात शाखा का प्रतिनिधित्व किया।

वर्ष 1967 में वह लोक सभा के लिए चुने गए और वर्ष 1971 में गुजरात निर्वाचन क्षेत्र से फिर चुने गए। वर्ष 1969-70 में उनका नाम सभापति-तालिका में रहा। वर्ष 1969-72 के दौरान वे सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिष्ठित चेयरमैन रहे और समिति के कार्य में सुधार लाने के लिए सार्वजनिक उद्देश्य की भावना भरी। उन्होंने कई संयुक्त प्रवर समितियों में भी काम किया। वर्ष 1972 में वह केन्द्रीय मंत्रिमंडल में नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री बने। इस वर्ष के आरम्भ में वह औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री बने।

सार्वजनिक और संसदीय जीवन के अतिरिक्त श्री राना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे और कई खेल कूद क्लबों और संस्थाओं से सम्बन्धित थे। राइफल शूटिंग में उनकी गहरी रुचि थी और एम० पीज० राइफल ऐसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते मुझे उनके निकट आने का अवसर मिला और मुझ उनकी खल के प्रति गहरी रुचि का पता चला ।

सीधे सादे, मृदुभाषी और मिलनसार होने के साथ साथ श्री राना लोक हितैषी थे। तथा उन्होंने भूदान आन्दोलन के लिए 400 एकड़ भूमि भूदान में दी थी और अपने क्षेत्र के किसानों के ऋण का भुगतान करने के लिए 1 लाख रुपए दिए।

हमें अपने मित्र के निधन पर गहरा शोक है और मझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश देने में सदन मेरे साथ शरीक होगा ।

सदस्यगण शोक व्यक्त करने के लिए कुछ देर मौन खड़े हों ।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे

The Members then stood in silence for a short While

अध्यक्ष महोदय : दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए सभा शाम के पांच बजे तक स्थगित होती है

इसके बाद लोक सभा 5 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई ।
The Lok Sabha then adjourned till Seventeen of the Clock.

लोक सभा 5 बजे म०प० पर पुनः समवेत हुई ।
The Lok Sabha re-assembled at seventeen of the clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Speaker *in the chair*

नये कराधान प्रस्तावों के सम्बंध में वक्तव्य

Statement on New Taxation Proposals

अध्यक्ष महोदय : श्री यशवन्तराव चव्हाण एक वक्तव्य देंगे ।

श्री श्यामनन्द मिश्र (बेंगुसराय) : मैंने वक्तव्य के बारे में नियम संख्या 376 (2) के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति मांगी है। कार्य सूचि के अनुसार वित्त मंत्री महोदय नए कर प्रस्तावों पर वक्तव्य देंगे। क्या पहले से ऐसी परंपरा रही है कि कराधान प्रस्तावों पर वक्तव्य दिया जाता है, इससे संबधित व्यक्तियों को मौके का फायदा उठाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। पहले यह होता रहा है कि वित्त मंत्री वर्ष में अनुमानित राजस्व और व्यय पर वक्तव्य देते हैं और इसको बजट कहा जाता है, बजट से संबंधित कुछ परम्पराएं हैं। यह निर्णय करना आप का कार्य है कि इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। वित्त मंत्री महोदय यह कहने में क्यों हिचकिचा रहे हैं कि वे अनुपूरक बजट पेश कर रहे हैं ?

यह निर्णय करना आप पर है कि क्या यह अनुपूरक बजट है या नहीं है और क्या वक्तव्य का शीर्षक जनता के हित में है या नहीं है, यदि वे कराधानप्रस्ताव से पूर्व वक्तव्य देते हैं तो इसके और वित्त विधेयक प्रस्तुत करने के समय के बीच समूचे देश में उपभोक्ताओं का शोषण किया जाएगा।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I want to draw your attention to the two rulings given by the speaker in 1956. Have you seen the Finance Bill to ascertain whether any attempt is not being made through this Bill to alter this statute. The rulings were given on 30, November 1956 and 7, December 1956. They cannot bring any permanent changes under the guise of finance Bill.

श्री एस०एम० बनर्जी (कानपुर): मैंने यह शीर्षक देखा है। ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री महोदय बिना इसे अनुपूरक बजट का नाम दिए कराधान प्रस्ताव घोषित करने जा रहे हैं। शायद यह संसद के इतिहास में पहला अवसर है जबकि ऐसा वित्त विधेयक (संख्या 2) लाया गया है। मेरा पहला प्रश्न है कि क्या यह नियमों तथा परम्पराओं के अन्तर्गत अनुमति देने योग्य है? क्या 1956 में अध्यक्ष द्वारा दिए गए विनिर्णय का अब उल्लंघन किया जा रहा है ?

मेरा आप से अनुरोध है कि आप इस मामले पर विचार करके अपना विनिर्णय दें ताकि इस बजट प्रस्ताव को कुछ देर के लिए और टाला जा सके ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान): जहां तक वक्तव्य देने की परंपरा का प्रश्न है एक प्रति पहले ही अध्यक्ष महोदय को देनी होती है । इस वक्तव्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कराधान प्रस्ताव तभी लागू होगा जब उसे कानूनी रूप दिया जाएगा। यह तो केवल वक्तव्य है, प्रक्रिया नियम का अनुसरण नहीं किया गया है। इसकी कोई प्रतिलिपि परिचालित नहीं की गई है और न आपको ही कोई प्रतिलिपि दी गई है। कराधान प्रस्तावों पर वक्तव्य देने की आड़ में ऐसा अनुपूरक बजट नहीं दिया जा सकता है मैं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उठाय गए मुद्दों का समर्थन करता हूं ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच०आर० गोखले): इसको बजट अथवा अनुपूरक बेजट कहना गलत है, संविधान में बजट का उल्लेख कहीं नहीं है, आमतौर पर वार्षिक वित्तीय वक्तव्य का तात्पर्य इससे है जो आगामी वर्ष के लिए आय तथा व्यय का अनुमान देता है वित्त मंत्री का तात्पर्य इससे नहीं है, यह तो केवल कर लगाने वाला विधान है जिसकी व्याख्या वे बाद में करेंगे। यह कहना भी गलत है कि पहली बार ऐसा दूसरा वित्तीय विधेयक लाया गया है। ऐसा पहले भी एक दो बार हुआ है। मेरा कहना है कि आज जो कुछ किया जा रहा है वह अनियमित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने इस मामले को कार्य मंत्रणा समिति को सौंपा था जहां माननीय सदस्य उपस्थित थे ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र: उस समय प्रश्न यह था कि दूसरे वित्तीय विधेयक को किस रूप में प्रस्तुत किया जाए । यदि स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो वित्त मंत्री महोदय इस बारे में वक्तव्य नहीं दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय: आप चाहें कुछ भी कहें परन्तु नियमों के अनुसार मंत्री महोदय किसी भी समय वक्तव्य दे सकते हैं। यह आम सिद्धांत है, मैं बिना विधेयक केसे देख सकता हूं ? इसका गोपनीय रहना आवश्यक है इससे क्या फर्क पड़ता है अगर वक्तव्य के शीघ्र बाद विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है, जहां तक स्थायी अथवा अस्थायी परिवर्तन का सवाल है यह विधेयक प्रस्तुत किए जाने के बाद ही जाना जा सकेगा ।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): महोदय, मैंने जब 1974-75 का नियमित वार्षिक बजट पेश किया था तब से सिर्फ पांच महीने बाद दूसरा फाइनेंस बिल पेश करना सरकार के लिए कोई आसान फैसला नहीं है। यह एक असाधारण घटना है। और इसका औचित्य यही है कि हमारे सामने एक कठिन आर्थिक परिस्थिति है । मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मौजूदा हालत में कोई कदम न उठाना वित्तीय गैर-जिम्मेदारी होगी जिससे देश की आर्थिक दशा पर गंभीर असर पड़ेगें । इस लिए दूसरा फाइनस बिल लाने का फैसला न केवल आर्थिक स्थिति की गंभीरता का संकेत देता है बल्कि इस बात का भी पता चलता है कि सरकार इस गम्भीर आर्थिक स्थिति को काबू में कर लेने के लिए कितनी दृढ़ संकल्प है ।

2. हम सभी जानते हैं कि मुद्रा स्फीती पर काबू पाना देश के सामने सबसे महत्वपूर्ण काम है । सरकार ने अब तक जो उपाय मद्रा-स्फीती को रोकने के लिए अपनाए हैं उनका प्रभाव सीमित रहा है और कीमतें बराबर बढ़ती रहीं हैं। लोग अनुमान करते हैं कि कीमतें तो लगातार बढ़ती ही रहेंगी, इस तरह सोचने से भी मुद्रा-स्फीती को बढ़ावा मिल रहा है।

3. 1974-75 के केन्द्रीय बजट का उद्देश्य बढ़ते हुए सरकारी खर्च को रोकना, पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त पूंजी जुटाना और घाटे की अर्थव्यवस्था पर निर्भरता को कम करना था। यह मुद्रा-स्फीती को रोकने के लिए अपनाई गई समूची अर्थ नीति का एक भाग था। अगर पिछले चार पांच महीनों की कीमतों के रुख को देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीती का जोर लगभग बना रहा है। जनवरी से मार्च 1974 तक के तीन महीनों में कीमतें औसत रूप में एक महीने में 2.7 प्रतिशत बढ़ीं। इसकी तुलना में अप्रैल से जून 1974 के तीन महीनों में कीमतों का औसत स्तर 7.8 प्रतिशत बढ़ा जिससे कीमतें

औसत रूप में एक महीने में 2.6 प्रतिशत बढ़ीं। कीमतों के मामले में हालत का लगातार गिरते जाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चिन्ता का कारण बना हुआ है।

4. मैं इस समय मुद्रा स्फीती से लगातार पड़ने वाले दबाव के कारणों के बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहूंगा। इन कारणों के बारे में मैंने अक्सर इस सदन में बहुत कुछ कहा है हालांकि मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि बुनियादी तौर पर इसकी वजह हमारी खेती की पैदावार का कम होना है। हाल की गेहूं की फसल उतनी नहीं हुई जितनी कि हमने पहले आशा लगाई थी। इससे लगता है कि उत्पादकों की सप्लाई को रोकने की प्रवृत्ति को बल मिल गया है। अनाज वसूलने की कीमतों को पर्याप्त रूप से ऊंची करने पर भी अब तक आशा के अनुरूप अनाज वसूला नहीं जा सका है। रबी की फसल में तेलहनों का उत्पादन भी अपर्याप्त रहा और इससे वनस्पति तेलहनों व तेलों के भाव चढ़ते गए। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि जो 1973 में रुकी रही थी, पावर की कमी कमी के कारण ठप्प सी रही।

5. इन सभी तत्वों से कुल मांग और पूर्ति के बीच असंतुलन लगातार बना रहा है। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने यह जरूरी समझा कि नए सिरे से एक साथ कई कदम उठाए जाएं। हाल ही में जारी किये गये तीन अध्यादेशों में लाभांश दिए जाने पर अस्थायी रोक, मजदूरी व वेतन में होने वाली वृद्धि व अतिरिक्त मंहगाई भत्ते को 50 प्रतिशत निष्क्रिय करना और ऊंची आय वाले वर्ग के आय-कर देने वालों द्वारा अनिवार्य जमा शामिल है। इन अध्यादेशों का बुनियादी उद्देश्य यह है कि मांग के दबाव को कम किया जाए और मुद्रा के प्रवाह की दर को रोका जाए। इन उपायों को आंकते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकार के सामने कुछ ही विकल्प थे। मौजूदा परिस्थिति में दूसरा संभव उपाय यही था कि विकास पर किए जाने वाले खर्च में भारी कटौती कर दी जाती लेकिन इससे अर्थव्यवस्था की प्रगति पुगु हो जाती।

6. बैंकों ने हाल के महीनों में भारी मात्रा में ऋण दिए हैं जिससे रिर्जव बैंक को ऋण नियंत्रण और कड़े करने पड़े। हर एक व्यापारी बैंक को हिदायतें दी गई हैं कि वह सबसे बड़े 50 खातों की छानबीन करे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक ऋण का इस्तेमाल इनवेंटरी को जरूरत से ज्यादा बढ़ाने या अनुत्पादक कामों पर न किया जाए। अभी हाल में 22 जुलाई 1974 को बैंक ऋण में 2 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गयी जिसके साथ साथ व्यापारी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की न्यूनतम ब्याज दर और उन बैंकों में जमा रकमों पर दिए ब्याज की दरों में वृद्धि की गयी। इससे बैंक से ऋण लेकर इनवेंटरी को बढ़ाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा व जमा रकमों को जुटाने में भी सहायता मिलेगी।

7. अभी हाल में हमने जो कदम उठाये हैं वह कदम सही दिशा में उठाय गये हैं। मैं यहां यह स्पष्ट कर दूं कि इन उपायों से ही कीमतें नहीं रुकेंगी। जो असन्तुलन हमारी अर्थ व्यवस्था में है वह बुनियादी तौर से, खेती की पैदावार में लगातार वृद्धि लाकर दूर किया जा सकता है, हालांकि ऐसा करना कोई आसान बात नहीं है क्योंकि हमारे देश में उर्वरक का अपर्याप्त उत्पादन हो रहा है और बाहर से मंगाए जाने वाले उर्वरक महंगे हो गए हैं। जो कुछ उर्वरक हमें विदेशों से मिल सकता है, हम खरीद रहे हैं हालांकि इनके आयात का खर्च भारी हो गया है जो 450 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा होने की संभावना है। 1974-75 के वर्ष की योजना में मूल क्षेत्र के लिए हमने जो पर्याप्त व्यवस्था की है उससे हमें कोयला व इस्पात का उत्पादन काफी बढ़ाने में मदद मिलनी चाहिए। कोयले के उत्पादन और उसको लाने ले जाने में होने वाले सुधार सामने आने लगे हैं। लेकिन मुख्यतः पावर की कमी व यातायात की दिक्कतों के कारण औद्योगिक उत्पादन आमतौर पर अभी अनिश्चित बना हुआ है।

8. सौभाग्य से, हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति सुदृढ़ बनी रही है। इसका मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से लिया गया ऋण, लगातार मिलने वाली विदेशी सहायता और खासतौर से 1973-74 में हमारे निर्यात से होने वाली आमदनी में तेजी से हुई वृद्धि है। इसके परिणाम स्वरूप हम अनाज के आयात पर होने वाले खर्च को पूरा कर सके हैं हालांकि हमें काफी दाम देने पड़े हैं। 1974-75 में हमारा निर्यात व्यापार उतना अच्छा नहीं रहा। हमारी विदेश जाने वाली चीजों के दाम हाल के महीनों में घट गए हैं। इसके अलावा कीमतें जिस तेजी से आजकल बढ़ रही हैं उसे देखते हुए हमारी निर्यात की चीजें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में दूसरे देशों की चीजों के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगी जिससे हमारे भुगतान की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इससे पता चलता है कि हमें अपनी कीमतों को बढ़ने से रोकने की कितनी सख्त जरूरत है।

9. इस पृष्ठभूमि में, हमारी अर्थ-व्यवस्था में मांग के दबाव को कम करने के लिए और अधिक उपाय करने की जरूरत अपने आप स्पष्ट हो जाती है। मुद्रा-स्फीती के मौजूदा दौर में बजट के घाटे की मात्रा को बढ़ने न देना बहुत जरूरी है। और हमने ऐसा करने का दृढ़ निश्चय कर रखा है। अनेक कारणों से हमारे मूल अनुमान गड़बड़ा गये हैं और इससे केन्द्रीय सरकार के बजट का घाटा मूल बजट में अनुमानित 126 करोड़ रुपए की राशि से काफी अधिक हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। मैं इनमें से कुछ कारणों का यहां जिक्र कर रहा हूं।

10. जैसाकि सदन को मालूम है, सरकार ने हाल में अन्न संबंधी आर्थिक सहायता के बोझ को कम करने के लिए गेहूं की वसूली की कीमतों में वृद्धि की है। इस समय, सरकार देशी गेहूं और मोटे अनाजों की वसूली के लिए बहुत थोड़ी आर्थिक सहायता देती है। लेकिन पिछले रबी के मौसम में गेहूं का पर्याप्त उत्पादन न होने और इसकी अपर्याप्त वसूली होने के कारण, जैसा कि मैंने पहले कहा है, सरकार को विदेशों से काफी बड़ी मात्रा में अनाज मंगाना पड़ रहा है, जिससे वह अपनी वितरण प्रणाली को कायम रख सके। चूंकि बाहर से मंगाया जाने वाला गेहूं देशी गेहूं से काफी अधिक महंगा पड़ता है लेकिन इसे बेचना उसी कीमत पर पड़ता है, इसलिए अन्न संबंधी आर्थिक सहायता का बोझ 100 करोड़ रुपए के मूल अनुमान से कहीं अधिक हो जाएगा।

11. माननीय सदस्य रेलवे की कमजोर वित्तीय स्थिति से भली भांति परिचित हैं। कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के खर्च का बोझा अधिक होने और हाल की रेलवे हड़ताल के कारण यातायात में बाधा आने से रेलवे बजट का घाटा 52 करोड़ रुपए की मूल व्यवस्था से काफी अधिक होगा।

12. इसके अलावा, हमें इस तथ्य को भी हिसाब में लेना चाहिए कि कीमतों में लगातार वृद्धि होने से, बजट में अतिरिक्त महंगाई भत्ते के लिए की गयी व्यवस्था में भारी वृद्धि करनी पड़ेगी। इसी प्रकार बढ़ती हुई कीमतों और रक्षा कर्मचारियों के वेतन आदि में और अधिक सुधार करने के कारण रक्षा-व्यय में भी कुछ वृद्धि होने की संभावना है।

13. जहां तक आयोजना का संबंध है, कीमतो में लगातार वृद्धि होने से परियोजनाओं की लागत बढ़ गई है और इसके साथ साथ हमारे सरकरी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के आन्तरिक साधनों में और कमी हो गयी है।

14. आयोजना-परिव्यय और आयोजना-भिन्न परिव्यय को इकट्ठा लेने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि यदि स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ कदम न उठाये गये तो उन कारणों से, जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, चालू वर्ष में कुल खर्च और कुल उपलब्ध पूंजी के बीच का अन्तर 126 करोड़ रुपये के उस घाटे से बहुत अधिक होगा, जिसका अनुमान इस वर्ष का बजट पेश करते समय लगाया गया था। हालांकि हमारा खर्च तेजी से बढ़ता जा रहा है लेकिन वर्तमान करों से प्राप्त होने वाले राजस्व से यह संकेत नहीं मिलता कि इस मद से प्राप्त होने वाला राजस्व बजट में अनुमानित राजस्व से कोई खास अधिक होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं सदन में करों के जरिये अतिरिक्त पूंजी जुटाने के प्रस्ताव रखूंगा।

15. लेकिन मैं यह बात कहना चाहूंगा कि यह घाटा किसी भी तरह केवल नये कर लगा कर पूरा नहीं किया जा सकता और घाटे को कम करने के लिए और भी दूसरे कदम उठाने जरूरी हैं।

16. हम सभी सरकारी खर्चों की पूरी तौर पर जांच-पड़ताल कर रहे हैं जिससे हर सम्भव किफायत की जा सके। यह काम कोई आसान काम नहीं है क्योंकि इस वर्ष का बजट ऐसी बहुत सी आयोजनागत योजनाओं को जिन्हें स्थगित करने के योग्य समझा गया था, छोड़ देने के बाद प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा, यदि चालू परिव्यय में कमी करने का फल यह हो कि मूल क्षेत्र की मुख्य परियोजनाओं को उनके जल्दी पूरा होने के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त होनी बन्द हो जाए, तो किफायत करने का प्रयोजन ही समाप्त ही जाएगा। जहां तक सम्भव हो, हम अर्थ-व्यवस्था के मूल क्षेत्रों जैसे बिजली और उर्वरकों में पूंजी लगाने की दर को बनाये रखना है। इसके साथ साथ, हम विकास भिन्न खर्चों क अलावा कुछ कम प्राथमिकता वाली विकास-योजनाओं के खर्चे में भी कमी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने सरकारी क्षेत्र के उद्यमो और विभागीय उपक्रमों को लाभकारी बनाने की सम्भावनाओं की भी जांच कर रहे हैं। खर्च में भारी कमी करने का एक अभियान अभी चल ही रहा है। जब तक यह पूरा नहीं हो जाता और हमारे द्वारा किये गये अन्य उपायों के नतीजे सामने नहीं आ जाते तब तक ठीक ठीक यह बताना कठिन होगा कि अन्तिम स्थिति

क्या होगी । मुद्रा स्फीति की मौजूदा भीषण स्थिति को देखते हुए हमारा पूरा इरादा है कि केन्द्रीय सरकार के बजट के घाटे को इस वर्ष के बजट में बताए गये स्तर तक सीमित रखा गया और सरकार उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगी ।

17. अपने विशिष्ट प्रस्तावों को पेश करने से पहले मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि इन प्रस्तावों के आधार-भूत सिद्धान्त क्या हैं । जन साधारण को भारी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं, इन कठिनाइयों को देखते हुए आम इस्तेमाल की चीजों पर नये कर लगाने का कोई औचित्य नहीं है । इसलिए कर लगाने के लिए वस्तुओं का चुनाव करते समय, मैंने जीवन की बुनियादी आवश्यक वस्तुओं पर नये कर नहीं लगाये हैं । इसके साथ साथ मेरे प्रस्तावों में दिखावे के उद्देश्य से किये जाने वाले खर्च में कमी करने और दुर्लभ माल के इस्तेमाल में अधिकतम किफायत करने की आवश्यकता अन्तर्निहित है । मैंने इस समय कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पाद को और व्यापारियों द्वारा कमाये जा रहे छप्परफाड़ मुनाफों की रकम को, जो अक्सर दिखायी नहीं जाती और जिस पर कर नहीं लगा होता, बटोरने का प्रयत्न किया है । मुझे यकीन है कि सदन इस बात पर सहमत होगा कि मौजूदा स्फीतिकारी स्थिति में उत्पादन की सामान्य आवश्यकताओं से कहीं अधिक इनवेंटरी के सामान के संचय करने की प्रवृति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए । रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने हाल में कुछ उपाय घोषित किये हैं जिनसे बैंक ऋण की लागत में वृद्धि और ऋण को अत्यावश्यक उत्पादन कार्य की केवल वास्तविक जरूरतों के लिए सीमित करके इस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश की गयी है । मैं आगे जिन कर-प्रस्तावों की रूपरेखा बताऊंगा उनमें से एक का उद्देश्य, रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा-मोर्चे पर की गयी कार्रवाई को पुष्ट करना है और इसके साथ साथ पूंजी जुटाने में सहायता देना है जिसकी कि सरकार को जरूरत है ।

18. मैं इस अवसर पर राज्य सरकारों पर यह जोर देना चाहूंगा कि राजस्व के मामले में अधिक अनुशासन लाने में उनकी भूमिका केन्द्रीय सरकार से कम महत्वपूर्ण नहीं है । विकास की गति को प्रभावित किये बिना, अपने घाटों को कम करने के लिए राज्य सरकारों को चाहिए कि कृषिक करों की क्षमता का पूरा पूरा लाभ उठायें । इसके साथ साथ, सिंचाई और बिजली जैसी सेवाओं की दरों का निर्धारण अधिक वास्तविकता के आधार पर करने की अविलम्ब आवश्यकता है । मैं उनसे आग्रहपूर्वक अनुरोध करूंगा कि वे इन दिशाओं में कदम उठायें ।

प्रत्यक्ष कर

19. मैं अब अपने कर प्रस्ताओं को पेश कर रहा हूं । पहले यह प्रस्ताव प्रत्यक्ष करों के बारे में हैं । मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए किये जा रहे उपायों के अन्तर्गत, मैं अनुसूचित बैंकों द्वारा भारत में दिये जाने वाले ऋणों से उनको ब्याज की जो सकल रकम मिलती है उस कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं । बैंकों से यह आशा की जाती है कि वह अपनी कार्यप्रणाली को इस कर के अनुरूप ढालेंगे और ऋण लेने वालों से ली जाने वाली ब्याज दरों में जरूरत के मुताबिक घटती बढ़ती कर इस कर की प्रतिपूर्ति कर लेंगे । इस कर से मुद्रा संबंधी व वित्तीय दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इससे ऋण की रकम की लागत बढ़ जायेगी और सरकारी राजस्व में और अधिक रकम आयेगी । यह कर बैंकों द्वारा लिये गये कुल ब्याज की रकम पर 7 प्रतिशत की दर से लगेगा । इससे बैंकों से लिय गये ऋण की लागत में 1 प्रतिशत की औसत वृद्धि हो जायेगी । कर लगाते समय सरकारी सिक्यूरिटियों व स्थानीय निकायों, कम्पनियों और सांविधिक निगमों द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों व दूसरी सिक्यूरिटियों के ब्याज को हिसाब में नहीं लिया जायेगा । इसी तरह अनुसूचित बैंकों के बीच होने वाले लेन देन पर लगने वाले ब्याज को इस कर के हिसाब में नहीं लिया जायेगा । अनुसूचित बैंकों को पहली अगस्त 1974 के पहले मिलने वाला ब्याज भी इस कर के अन्तर्गत नहीं आयेगा । आयकर अधिनियम के अनुसार कर लगाने वाली आय का हिसाब लगाते समय इस कर की रकम की कटौती कर दी जायेगी । मैं जल्दी ही इस प्रस्ताव को लागू करने के बारे में अलग से एक बिल पेश करूंगा । इस कर से एक पूरे साल में 60 करोड़ रुपये तक की आमदनी होगी और चालू वर्ष की बाकी अवधि में इससे 25 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा ।

20. स्फीतिकारी स्थिति के परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में होने वाली अनर्जित आय को ध्यान में रखते हुए मैं पूंजीगत लाभकर में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं । गैर-निगम करदाताओं की कर योग्य आय का हिसाब लगाते समय दीर्घ अवधि वाले पूंजीगत लाभ से कटौती की रकम को, जहां इस लाभ का सम्बन्ध भूमि व मकानों से हो, 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया जा रहा है । अन्य परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण के कारण होने वाले लाभ के मामलों में यह कटौती घटा कर 50 प्रतिशत से 40 प्रतिशत की जा रही है ।

21. दीर्घ अवधि के पूंजीगत लाभ पर कम्पनियों के मामले में कर की मात्रा बढ़ायी जा रही है। यह वृद्धि भूमि बमकानों से मिलने वाले लाभ के मामले में कर की दर को 45 प्रतिशत से बढ़ा कर 55 प्रतिशत करके की जा रही है। ऐसी कम्पनियों के मामले में जिनमें बहुत ज्यादा लोगों के शेयर हैं और जिनकी कर योग्य आय दीर्घ अवधि वाले पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपए से अधिक न हो वहां 47 प्रतिशत की निचली दर लागू की जाएगी। दूसरे तरह की परिसम्पत्ति के हस्तांतरण के कारण होने वाले पूंजीगत लाभ पर लगाये जाने वाले कर की दर 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत की जा रही है। पूंजीगत लाभ से सम्बन्धित व्वयस्थाओं में इन परिवतनों से पूरे साल में लगभग 5 करोड़ रुपयों का राजस्व प्राप्त होगा।

अप्रत्यक्ष कर

22. मैं अब अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। जरूरत के अनुसार पूंजी इकट्ठा करने के लिए मेरे पास कुछ खास खास उत्पादन शुल्कों को बढ़ाने के सिवा दूसरा चारा न था। ऐसा करते समय मेरी यह कोशिश रही है कि जनता के अपेक्षाकृत निर्धन वर्ग पर कम से कम प्रभाव पड़े। मैंने इस बात की भी कोशिश की है कि जिन मदों में बिचौलिए आजकल उपभोक्ता व मूल उत्पादक दोनों को नुक्सान पहुंचाकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं उन मदों पर शुल्क की दर बढ़ायी जाए। इन शुल्कों से हमें व्यापार में होने वाले मुनाफों को समेटने में मदद मिलेगी जो इन व्यापारियों को अवांछनीय रूप से प्राप्त हो रहे हैं।

23. इस समय तांबा व तांबा मिश्र धातु और तार की सरियों, तार की छड़ों आदि पर 1500 रुपए प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से उत्पादन शुल्क लगता है। इनसे बनी विशिष्ट चीजों पर 2000 रुपए प्रति मेट्रिक टन की दर से शुल्क लगता है जबकि पाइपों और ट्यूबों पर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार दर लगती है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तांबे की कीमत ऊपर चढ़ती जा रही है। अब तो हमें भी भारी मात्रा में तांबा आयात करना पड़ता है। तांबे की देशी उत्पादक अपनी चीजों को आयात की गयी चीजों के दामों पर बचते हैं और वह भारी मुनाफा कमाते हैं क्योंकि उनके उत्पादन की लागत कम होती है। इस आकस्मिक लाभ में से कुछ रकम निकाल लेने के उद्देश्य से मैं तांबे और उक्त सरियों, छड़ों आदि पर 4000 रुपए प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से बुनियादी उत्पादन शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं; इनकी बनी हुई विशिष्ट चीजों पर 4500 रुपये प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से और पाइप व ट्यूब पर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार शुल्क लगाया जा रहा है। शुल्क-दत्त धातु से बनी प्लेटों, चद्दरों, सर्किलों, पट्टियों, क्वाइलों या विशिष्ट प्रकार के स्क्रैप से बनी धातु पर 500 रुपए प्रति मेट्रिक टन की दर से लगने वाला मौजूदा शुल्क जारी रहेगा। बगैर कटी छंटी रूप में निकासी की गयी चद्दरों व सर्किलों के लिए एक निचली दर निर्धारित की गयी है। कच्चा तांबा अगर पाइप व ट्यूब बनाने के काम आता हो तो उस पर अदा किए गए शुल्क का मुजरा करने की व्यवस्था भी जारी रहेगी। इन प्रस्तावों से मैं आशा करता हूं कि 8.40 करोड़ रुपयों तक का राजस्व प्राप्त होगा जिसमें बढ़े हुए सहायक शुल्क के फलस्वरूप जिसका निर्धारण प्रभावी बुनियादी शुल्क के प्रतिशतांश के रूप में होता है, मिलने वाला राजस्व भी शामिल है।

24. ऐसी ही बातों को ध्यान में रखते हुए मैं बिनपिटे जस्ते पर बुनियादी शुल्क को 500 रुपए प्रति मेट्रिक टन से बढ़ाकर 1500 रु० कर देने का प्रस्ताव कर रहा हूं, इस धातु से बने विशिष्ट माल पर इस शुल्क को 800 रुपए प्रति मेट्रिक टन से बढ़ाकर 1800 रुपए और पाइपों व ट्यूबों पर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव कर रहा हूं। जस्ते की प्लेटें, चद्दरें, सर्किलें, पट्टियों और शुल्क दिए हुए जस्ते की बनी क्वाइलों पर 300 रुपए प्रति टन के हिसाब से शुल्क जारी रहेगा। इस से 5.07 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा जिसमें सहायक शुल्कों से प्राप्त होने वाली रकम भी शामिल है। बुनियादी उत्पादन शुल्क में इस समय प्रस्तावित वृद्धि करने के परिणामस्वरूप आयात किये गए तांबे और जस्त पर कोई अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगेगा।

25. रेयन व सिंथेटिक रेशों व धागों की कीमत बढ़ जाने से इस पर लगे शुल्क का, जो मात्रानुसार लगता है, भार कम हो गया है। इस लिए मैं नायलान के रेशों से बनी धागों और स्टेपल रेशे वाले धागों और सेलूलोज के रेशों से बने धागों के बारे में मात्रानुसार शुल्कों की दरों को उपयुक्त रूप से बढ़ा देने का प्रस्ताव करता हूं। इससे 11.38 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त राजस्व आएगा। मछली पकड़ने के जाल व पैराशूट की रस्सियों के बनाने में काम आने वाले नायलान के धागे पर मौजूदा रियायती दर जारी रहेगी। मैं इस वृद्धि के लिए एसिटेट के धागे को भी छोड़ रहा हूं।

26. कम्पोजिट मिलों और बिजली से चलने वाले करघों द्वारा मैन्यूफैक्चर किये गये कपड़ों पर धागे के स्तर पर लगने वाले शुल्क के अन्तर को कम करने के लिए मैं उस सूती धागे पर मात्रानुसार शुल्क की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं जो बिजली से चलने वाले करघों द्वारा सुपरफाइन, फाइन व मीडियम-ए कपड़े तैयार करने के काम आता है। ये बढ़ी हुई दरें इसी काउंट के सूत पर भी लागू होंगी जो हौजरी के धागे, सिलाई के धागे आदि बनाने में इस्तेमाल होता है। सीधी रीलों पर चढ़े लच्छी के सूत पर, जिसका इस्तेमाल हथकरघों द्वारा किया जाता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन वृद्धियों से 9.70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि निचले काउंट वर्गों के सूत को, जिसका उपयोग सामान्यतः मीडियम-बी और मोटे कपड़े के बनाने के लिए किया जाता है, अछूता छोड़ा जा रहा है।

27. उत्पादन में बाधाओं के कारण टायरों की सप्लाई में कमी हो गयी है और व्यापारियों द्वारा कुछ किस्मों के टायरों पर भारी मुनाफा लिया जा रहा है। इस मुनाफे को बटोरने और राजस्व जुटाने के एक उपाय रूप में, मैं स्कूटरों, मोटर साइकिलों और मोपेडों के टायरों को छोड़कर, जिनपर मौजूदा रियायती दर पर ही शुल्क लगता रहेगा, टायरों के मूल्यानुसार शुल्क में 5 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे 8.8 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। लेकिन साइकिलों के टायरों और ट्यूबों और पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों में इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से बनाये जाने वाले टायरों को पूरी तरह छूट प्राप्त होती रहेगी।

28. माननीय सदस्यों को सीमेंट की आम कमी और व्यापारियों द्वारा कमाए जाने वाले छप्परफाड़ मुनाफों की जानकारी तो होगी ही। इन मुनाफों से कम से कम कुछ अंश को समेटने और अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए, मैं सीमेंट के बुनियादी शुल्क को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं। सहायक शुल्क की प्राप्ति में होने वाली अनुषंगिक वृद्धि सहित, इस प्रस्ताव से राजस्व में 29.37 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी।

29. सिगरेटों पर बुनियादी उत्पादन शुल्क की मौजूदा टैरिफ दर 200 प्रतिशत मूल्यानुसार है। एक अधिसूचना द्वारा, 10 रुपए प्रति हजार तक की कीमत वाले सिगरेटों के मामले में यह बुनियादी शुल्क 75 प्रतिशत मुल्यानुसार निर्धारित किया गया है। 10 रुपए प्रति हजार से अधिक कीमत वाले सिगरेटों के मामले में, 10 रुपए प्रति हजार से ऊपर के प्रत्येक अतिरिक्त रुपए अथवा उसके किसी भाग के लिए, इस शुल्क में 3 प्रतिशत मूल्यानुसार की वृद्धि कर दी जाती है। राजस्व प्राप्ति के उपाय के रूप में, मैं बुनियादी बिन्दु पर (अर्थात उन सिगरेटों पर जिनकी कीमत 10 रुपए प्रति हजार से अधिक नहीं है) बुनियादी शुल्क की दर को 75 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ाकर 85 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं। लेकिन 10 रुपए प्रति हजार की कीमत से ऊपर के प्रत्येक अतिरिक्त रुपए अथवा उसके किसी भाग के लिए शुल्क में होने वाली वृद्धि की 3 प्रतिशत मूल्यानुसार दर बनी रहेगी।

30. चूंकि 200 प्रतिशत मूल्यानुसार की उच्चतम सीमा अधिक कीमती ब्रांड वाले सिगरेटों के शुल्क को सीमित कर देती है, इसलिए मैं इस सीमा को बढ़ाकर 250 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी करता हूं। मुझे आशा है कि भाग्यवन्तों को, जो अधिक महंगे ब्रांड के सिगरेटों का खर्च उठा सकते हैं, यह जानकर गौरव होगा कि अब वे सरकारी खजाने में अधिक योगदान देंगें। सिगरेटों के बारे में मेरे प्रस्तावों से 16.45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, जिसमें सहायक शुल्क के रूप में ज्यादा मिलने वाली रकम भी शामिल है।

31. मैं ढलवां लोहे, लेटेक्स फोम स्पंज, एस्बेस्टस सीमेंट की बनी चीजों और बिजली के बल्बों तथा बिजली की फ्लोरीसेंट ट्यूबों के संबंध में बुनियादी शुल्कों में वृद्धि करने का प्रस्ताव भी करता हूं। इनसे कुल मिलाकर 8.14 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

32. केवल केन्द्र के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाने के उपाय के रूप में, मैं स्टील इंगाट और लोहे या इस्पात से बनी चीजों पर सहायक शुल्क की दरों को प्रभावी बुनियादी शुल्क के 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने, और स्केल्प, टिन प्लेटों और टीन की चादरों के सहायक शुल्क की दरों को प्रभावी बुनियादी शुल्क के 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। किन्तु रेल मार्गों पर इस्तेमाल की जाने वाली रेल पटरियों और स्लीपर छड़ों पर यह वृद्धि लागू नहीं होगी। इन प्रस्तावों से देश में बने माल की कीमतें बाहर से मंगायी जाने वाली वैसी ही वस्तुओं के मूल्य के अनुरूप हो जायेंगी। इससे 26.85 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व जुटाने में भी सहायता मिलेगी। ये संशोधित सहायक शुल्क अब तक की तरह

केवल देश में उत्पादित वस्तुओं पर लागू होंगे और इनके कारण आयात की गयी वस्तुओं पर अधिक ऊंची दरों से प्रतिसन्तुलन-कारी शुल्क नहीं लेंगे।

33. कुछ खास किस्मों के सूती कपड़े पर जैसे सूटिंग, गेबरडीन, फर्निशिंग, ब्लेण्डेड, एम्ब्राइडरी वाले, इम्प्रेग्नेटेड अथवा कोटेड कपड़े पर मैं पहली दफा प्रभावी बुनियादी शुल्क के 33⅓ प्रतिशत की दर से प्रभावी सहायक शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं; इससे 6 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

34. फरवरी, 1974 में प्रस्तुत मेरे बजट-प्रस्तावों के भाग के रूप में कागज और गत्ते की विभिन्न किस्मों पर लगने वाले मात्रानुसार शुल्कों की दरों पर पुनर्विचार किया गया था और उनमें वृद्धि की गयी थी। इस बीच कागज और गत्ते की अधिकांश किस्मों की कीमतों में कागज उद्योग द्वारा भारी वृद्धि कर दिए जाने से मौजूदा मात्रानुसार शुल्कों का मूल्यानुसार भारी प्रतिशतांश के रूप में काफी कम हो गया है। इसलिए मैं विभिन्न किस्मों के कागज और गत्ते के शुल्क में वर्ष में दूसरी बार वृद्धि करने के लिए मजबूर हो गया हूं। तद्नुसार मैं कागज और गत्ते की सभी किस्मों के प्रभावी बुनियादी शुल्क की 33⅓ प्रतिशत की दर से सहायक शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। अधिक आम किस्मों के छपाई और लिखने के कागज को, जिसका वजन 65 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से अधिक न हो, और जिसका इस्तेमाल कापियों, पाठ्य पुस्तकों आदि के लिए किया जाता है और जिसका कर-निर्धारण इस समय 15 पैसे प्रति किलोग्राम की मौजूदा दर से किया जाता है, प्रस्तावित सहायक शुल्क से विशेष रूप से छूट दी जा रही है। अखबारी कागज और हाथ से बने कागज और गत्ते पर भी यह शुल्क नहीं लगेगा। इस प्रस्ताव से 13.20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

35. प्लास्टिक की देशी व विदेशी चीजों के मूल्य के बीच के अन्तर को कम करने के लिए मैं सहायक शुल्क की दर को प्रभावी बुनियादी शुल्क के 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर देने का और इस प्रकार 9 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाने का प्रस्ताव करता हूं। लेकिन जब प्लास्टिक का आयात किया जाएगा तो अब तक की तरह उसे प्रतिसन्तुलन-कारी शुल्क से, सहायक उत्पादन शुल्क के बराबर की छूट मिलती रहेगी।

36. मैं पेंट्स और वार्निश के सहायक शुल्क को प्रभावी बुनियादी उत्पादन शुल्क के 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर देने का भी प्रस्ताव करता हूं जिससे 1.80 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

37. अभी हाल तक डी०एम०टी० और केप्रोलेक्टम का आयात विदेशों से ऊंची अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर किया जा रहा था इस बीच देश के अन्दर डी०एम०टी० का उत्पादन शुरू हो गया है और केप्रोलेक्टम कारखाने में जल्दी ही उत्पादन शुरू हो जाने की संभावना है। उन कीमतों को देखते हुए जिन पर इन वस्तुओं का आयात विदेशों से किया जाता था और राजस्व के उपाय के रूप में, मैं पहली बार केप्रोलेक्टम पर 50 प्रतिशत की दर से और डी०एम०टी० पर 25 प्रतिशत की दर से मुल्यानुसार शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। अनुमान है कि इससे 12.40 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। लेकिन विदेशों से आयात किए जाने वाले केप्रोलेक्टम और डी० एम० टी० पर प्रस्तावित शुल्कों के परिणाम-स्वरूप, प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क नहीं लगेगा।

38. उत्पादन शुल्कों से सम्बन्धित प्रस्तावों से पूरे वर्ष में 166 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, जिस में से लगभग 20 करोड़ रुपया राज्यों और 146 करोड़ रुपया केन्द्र को मिलेगा।

सीमा-शुल्क

39. मैंने फरवरी, 1974 के अपने बजट भाषण में अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि की जिन प्रवृत्तियों का जिक्र किया था, वे अब भी बनी हुई हैं। इन परिस्थितियों में, मैंने मुख्य सीमा शुल्कों में परिवर्तन न करने का निश्चय किया है, हालांकि केंद्रीय उत्पादन शुल्कों में प्रस्तावित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप प्रतिसन्तुलनकारी शुल्कों से 1 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त राजस्व के प्राप्त होने का अनुमान है।

40. जिन मामलों में अधिसूचनाएं जारी कर 1 अगस्त, 1974 से परिवर्तन लागू करने का प्रस्ताव है, उन मामलों से सम्बन्धित अधिसूचनाओं की प्रतियां मैं यथासमय सभा पटल पर रखूंगा।

41. सीमा शुल्कों और केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों दोनों को मिलाकर, केन्द्र को पूरे वर्ष में 147 करोड़ रुपए अथवा चालू वित्तीय वर्ष के शेष भाग में लगभग 98 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, जिसमें राज्यों का हिस्सा शामिल नहीं है।

42. ऊपर मैंने जिन विभिन्न कर प्रस्तावों की रूपरेखा दी है उनसे केन्द्र को पूरे वर्ष में लगभग 210 करोड़ रुपए और 1974-75 में 123 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। राज्यों को भी इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप पूरे वर्ष में लगभग 22 करोड़ रुपए और चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 13 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

43. जैसाकि मैंने पहले कहा है, दूसरा फाइनेंस बिल पेश करना कोई घटना नहीं है। मौजूदा स्थिति की आर्थिक मजबूरियों के कारण हमारे पास कोई अन्य वास्तविक सक्षम विकल्प नहीं बचे हैं। मैं चाहता हूं कि सदन द्वारा ये प्रस्ताव इसी परिप्रेक्ष्य में देखे व परखे जाने चाहिएं।

वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1974

FINANCE (NO. 2) BILL, 1974

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है "कि वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

THE LOK SABHA DIVIDED

पक्ष में 197	**विपक्ष में 50**
Ayes 197	**Noes 50**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है।

(एक) कि राज्य सभा को गुजरात विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1974, जो लोक सभा द्वारा 23 जुलाई, 1974 को पास किया गया था, के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा ने 29 जुलाई, 1974 की अपनी बैठक में आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1974 पास कर दिया है।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक

Essential Commodities (Amendment) Bill

राज्य सभा द्वारा पारितरूप में

महासचिव : मैं राज्य सभा पारित रूप में आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1974, सभा पटल पर रखता हूं।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार, 1 अगस्त, 1974/10 श्रावण, 1896 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Thursday, the 1st August 1974/ Sravana 10, 1896 (Saka)

MGIPNLK—6/Lok Sabha/74—18-9-74—490 Copies.